

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 2/पी०एम०सी०/केशो-23/10 -

राँची, दिनांक

प्रेषक:

ई० शिवानन्द राय
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से
वित्त विभाग द्वारा
परामर्शित

महालेखाकार
झारखण्ड
पो०-हिनू, राँची

विषय : केशो जलाशय योजना के निर्माण हेतु रु० 13198.66 लाख (रुपये एक सौ एकतीस करोड़ अन्तानबे लाख छियासठ हजार) मात्र के द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग के परिक्षेत्राधीन केशो जलाशय योजना के निर्माण हेतु रु० 13198.66 लाख (रुपये एक सौ एकतीस करोड़ अन्तानबे लाख छियासठ हजार) मात्र के द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. इस योजना के कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, बरही, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
2. इस योजना पर होने वाला व्यय
 - (i) मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय - उप मुख्य शीर्ष-80- सामान्य-लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय-उप शीर्ष-64-छोटानागपुर एवं संधाल परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण
 - (ii) मुख्य शीर्ष - 4701 - मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष - 80 - सामान्य - लघु शीर्ष - 789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीभूत उपयोजना - उप शीर्ष - 64-छोटानागपुर एवं संधाल परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण
 - (iii) मुख्य शीर्ष-4701 - मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय - उप मुख्य शीर्ष - 80 - सामान्य - लघु शीर्ष - 800-अन्य व्यय - उपशीर्ष - 71-छोटानागपुर एवं संधाल परगना अन्तर्गत 11-12 में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व के अंतर्गत विकलनीय होगा।
3. योजना को वर्ष 2014-15 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
4. राशि की निकासी हजारीबाग कोषागार से की जायेगी।
5. वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस योजना पर होने वाला व्यय रु० 1500.00 लाख तक सीमित रखा जायेगा।
6. इसके कार्यान्वयन के पूर्व विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं विहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
7. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत रहेगा।
8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायगा। यह आवंटनादेश नहीं है, इसके लिए अलग से आवंटन निर्गत किया जायगा।
9. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद का स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

(शिवानन्द राय)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक : 2/पी०एम०सी०/केशो-23/10 —

राँची, दिनांक

प्रतिलिपि : आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

(शिवानन्द राय)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक : 2/पी०एम०सी०/केशो-23/10 —

राँची, दिनांक

प्रतिलिपि : कोषागार, पदाधिकारी, हजारीबाग कोषागार, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

(शिवानन्द राय)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक : 2/पी०एम०सी०/केशो-23/10 —

राँची, दिनांक

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, संसूचना शाखा को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

(शिवानन्द राय)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांक : 2/पी०एम०सी०/केशो-23/10 —

86/13-14 प्र.खी

राँची, दिनांक 26.02.2014

प्रतिलिपि : सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अचल, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, बरही/वेब सूचना प्रबंधक एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(शिवानन्द राय)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

26/02/14